GCMS No.-2022/220

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

वेदप्रकाश बनाम ओमप्रकाश वगैरा

किस्म मुकद्मा 225 आरटीए

नम्बर 40/2022

जीसीएमएस संख्या....../2022/220

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10–06–22	अभिभाषक अपीलांट श्री गिरधारीलाल रामावत उपस्थित। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13–06–2022 को पेश हो।	
13–06–22	विद्वान अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके तहसील छत्तरगढ़ के वाके चक 1 डीएलएसएम के मुरब्बा नम्बर 92/61 के किला नम्बर 17, 18, 21, 22, 23, 23 की 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार श्री निरायणराम पुत्र पेमाराम, मोहरीदेवी पुत्री पेमाराम जाति नायक से जरिये रजिर्स्टड विकय पत्र दिनांक 09–02–2022 को खरीदशुदा भूमि होने से अपीलांट् आज दिनांक को वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि से रेस्पोडेन्ट्स का कोई सरोकार नहीं होते हुए भी उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट् जोकि वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है के विरूद्व दिनांक 30–05–2022 को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करते हुए अपीलांट् के हितों पर कुठाराधात किया जा रहा है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जबकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के नाम दर्ज भूमि है। जिस पर अपीलांट् अपने खरीद की दिनांक से काबिज काश्त	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को एक असिमित समय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में एक खातेदारों को उनके हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलांट् को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। चूंकि अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि का बोनाफाईड परचेजर है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित है। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–05–2022 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् की बहस पर मनन क़िया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 30–05–2022 को जारी एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 225 आरटीए के तहत दिनांक 07–06–2022 को प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित करने की मांग की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए आराजी जैर तहसील छत्तरगढ़ के चक 1 डीएलएसएम के मुरब्बा नम्बर 92/61 के किला नम्बर 17, 18, 21, 22, 23, 23 की 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करते हुए प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11–07–2022 अभिनिर्धारित की गई व अप्रार्थीगणों को असालतन या वकालतन उपस्थित होते हुए अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किये जाने पर रेस्पोडेन्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालना में उनके समक्ष उपस्थित आने व जवाब स्थगन प्रार्थना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र प्रस्तुत करने के बजाय न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित आते हुए उक्त एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की मांग प्रस्तुत अपील के माध्यम से की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम श्रेणी का आदेश है। जिस पर पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर अंतिम निर्णय होना शेष है। धारा 225 आरटीए में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि:–

An appeal shall lie from the final order passed on an application of the nature specified in the Third Schedule and from such other orders as are mentioned in section 212 of this Act.,

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 225 आरटीए के तहत अदालत मातहत द्वारा धारा 212 के तहत पारित अंतिम निर्णय की अपील के प्रावधान निहित है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा धारा 212 आरटीए पर अपना अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है लिहाजा प्रस्तुत अपील में गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित किये बिना अपीलांट् को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी नियत दिनांक को उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें। अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से अदालत मातहत द्वारा जारी एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

13/6/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।